

2021/32

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
11/21	212 RTA	कोरा	६५३
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
कैलाशी बाई		बनाम	सरकार

वकील :- *हेमंत पारीक १३वा* **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

22/21	<p>अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 22/3/2021 को पेश हो।</p>	
22/21	<p><i>अन्य पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 20/4/21 को पेश हो।</i></p> <p><i>रीडर</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
20/21	<p><i>अन्य पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 25/5/21 को पेश हो।</i></p> <p><i>रीडर</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
28/21	<p><i>अन्य पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 3/8/21 को पेश हो।</i></p> <p><i>रीडर</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	

13/21

Covid-19 के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में आज पेश हुई। वकील प्रार्थी सरकार पेशेदार उपस्थित। पत्रावली पेश नहीं हुई। समय-चाही है वास्तु में जवाब पत्रावली दिनांक 29/9/21 को पेश हो।

11/21

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 शिथिल... पर पत्रावली पेश हुई। प्रशासन उपस्थित/अनुपस्थित। कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली न्यायालय में दिनांक 15/11/21 को पेश हो।

28/22

अन्य न्यायिक अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 31/11/22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

9/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा मूल नोट में NOT PRESS किया गया है प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं-चाहते हैं। प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर दायर की जाती है पत्रावली फाइल शुभार होकर शामिल कक्ष में हो।